न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/08/2022	04-02-2022	02.05.2022

1–पृथ्वीराम पुत्र बाबूलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बघेरी कला, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार किशनगढबास दिनांक 24.12.2020 प्रकरण संख्या 08/2020 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलाण्ट

02 राजकीय अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढबास के निर्णय दिनांक 24.12.2020 प्रकरण संख्या 08/2020 जिसके द्वारा वाके ग्राम बघेरी कला तहसील किशनगढबास की आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.43 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 है0 भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

(आर.एस.) [signature]
02/05/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम बघेरी कला से बेदखली की कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध कतई गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। वास्तविकता यह है कि आराजी खसरा न0 1111 किस्म गै0मु0 रास्ते से लगती हुई अपीलान्ट की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 स्थित है। अपीलान्ट का कोई कब्जा आराजी खसरा न0 1111 पर नही है बल्कि गलत मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका नही देखा गया है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जो कि काबिल निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 के संबंध में एक राजस्व वाद हुक्म इम्तनाई का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढवास के यहां उनवान लक्ष्मीनारायण बनाम हरिसिंह है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जिसमें पक्षकार स्वयं तहसीलदार किशनगढवास है उक्त सभी तथ्यों की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को दस्तावेजात प्रस्तुत करके करा दी गयी थी किन्तु समस्त दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए राजनैतिक दवाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनाक 02.07.2020 स्पष्ट नही है तथा मौका रिपोर्ट में भी अपीलान्ट का रास्ते की भूमि में अतिक्रमण नही दर्शाया गया है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही राजनैतिक दबाव में आकर की गई है। जो विधि विरूद्व है एवं काबिल निरस्त है।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि आराजी खसरा न0 1111 किस्म गै0मु0 रास्ते से लगती हुयी अपीलान्ट की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 स्थित है। अपीलान्ट का कोई कब्जा खसरा न0 1111 पर नही है। किन्तु समस्त दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए राजनैतिक दबाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट दिनाक 02.07.2020 स्पष्ट नही है तथा मौका रिपोर्ट में भी अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही दर्शाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रश्नगत आराजियात खसरा न0 1055, 1057, 1058 के लिए ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रास्ते की पैमाईश हेतु पक्षकारों को स्वतंत्र रखा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2020 से अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट रास्ते की पैमाईश के संबंध में नियमानुसार तहसीलदार कार्यालय में आवेदन कर

(वर्षा) [signature]
02/05/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

विवादित भूमि की पैमाईश करवाकर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, अपीलाधीन तहसीलदार किशनगढ़बास का आदेश दिनॉक 24.12.2020 यथावत रखा जाता है। प्रकरण में दिनाक 07.01.2021 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना खोरवाल)
अति0 जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)